

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2369/2007

गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम, अपने प्रभागीय नियंत्रक, अहमदाबाद के माध्यम से, प्रा, पालनपुर प्रभाग, पालनपुर, गुजरात के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
- जिला परिवहन अधिकारी, सिरोही, राजस्थान।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री लोकेश शर्मा
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री एस.एस. नारुका, एएजी के लिए श्री अनिरुद्ध शर्मा

माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश झिंगन

माननीय न्यायमूर्ति श्री भुवन गोयल

आदेश20/03/2024अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

- यह याचिका दिनांक 21/22.03.2007 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है।
- संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम है और प्रासंगिक समय पर राजस्थान राज्य के क्षेत्र में वाहनों

का संचालन कर रहा था। याचिकाकर्ता को 5,22,314/- रुपये और 1,87,477/- रुपये की मांग उत्पन्न करने वाले दिनांक 13.03.2002 के मांग नोटिस जारी किए गए थे। मांग नोटिस को एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 3070/2002 और संबंधित मामलों में चुनौती दी गई थी। रिट याचिकाएं दिनांक 28.07.2023 को निस्तारित की गईं। आदेश का परिचालन भाग नीचे उद्धृत है:-

"जैसा भी हो, ये सभी रिट याचिकाएं इस शर्त पर निस्तारित की जाती हैं कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.05.2002 को दी गई अंतरिम राहत अगले तीन महीने तक जारी रहेगी। इस बीच प्रतिवादी संख्या 2 को मामले की जांच करने का निर्देश दिया जाता है और यदि यह पाया जाता है कि विवादित अवधि के लिए कर का निर्धारण नहीं किया गया है, तो वह याचिकाकर्ता निगम को सुनने के बाद उसका निर्धारण करेगा। जहां निर्धारण आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं, उनकी प्रतियां याचिकाकर्ता निगम को दी जाएं और याचिकाकर्ता निगम संबंधित अधिनियम या नियमों के तहत प्रदान किए गए अपील को उचित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर करने के लिए स्वतंत्र है। अपीलीय प्राधिकारी तब इस न्यायालय द्वारा दी गई इस रियायत से प्रभावित हुए बिना कर की मांग पर स्थगन के प्रश्न पर स्वतंत्र रूप से विचार करेगा।

इस तथ्य को देखते हुए कि कर की मांग, जो देय होने का आरोप है, दूसरे राज्य के अधिकारियों द्वारा राज्य के स्वामित्व वाले सड़क परिवहन निगम, यानी याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई है, यह उम्मीद की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2 और रिट याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर इस विवाद को सुलझा सकते हैं।

तदनुसार ये रिट याचिकाएं निस्तारित की जाती हैं। इन रिट याचिकाओं के निस्तारण के परिणामस्वरूप, उनके साथ दायर स्थगन आवेदन भी निस्तारित हो जाते हैं।

इस मामले के तथ्यों में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।"

3. तत्पश्चात्, नए मांग नोटिस जारी होने पर, याचिकाकर्ता द्वारा दायर एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 1579/2005 को नए मांग नोटिस को उचित मंच के समक्ष चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 14 के तहत दिनांक 17.02.2005 के मांग नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की, जिसमें 52,85,479/- रुपये की मांग उत्पन्न की गई थी। याचिका खारिज होने पर, रिट दायर की गई।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि उत्पन्न की गई मांग अवैध है। यह भी तर्क दिया गया है कि चुनौतीप्राप्त आदेश अकारण है।
5. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता चुनौतीप्राप्त आदेश का बचाव करते हैं।
6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मैसर्स क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम श्री मसूद अहमद खान और अन्य, 2010(9) एससीसी 496 में रिपोर्ट किए गए मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया:
 - "क. भारत में न्यायिक प्रवृत्ति हमेशा कारणों को दर्ज करने की रही है, यहां तक कि प्रशासनिक निर्णयों में भी, यदि ऐसे निर्णय किसी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।
 - ख. एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी को अपने निष्कर्षों के समर्थन में कारणों को दर्ज करना चाहिए।
 - ग. कारणों को दर्ज करने पर जोर न्याय के व्यापक सिद्धांत को पूरा करने के लिए है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि किया हुआ दिखना भी चाहिए।
 - घ. कारणों को दर्ज करना न्यायिक और अर्ध-न्यायिक या यहां तक कि प्रशासनिक शक्ति के

किसी भी संभावित मनमाने प्रयोग पर एक वैध प्रतिबंध के रूप में भी कार्य करता है।

- ड. कारण यह आश्वस्त करते हैं कि निर्णय लेने वाले द्वारा प्रासंगिक आधारों पर और बाहरी विचारों को अनदेखा करके विवेक का प्रयोग किया गया है।
- च. कारण वस्तुतः निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक बन गए हैं, जैसे न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और यहां तक कि प्रशासनिक निकायों द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना।
- छ. कारण उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं।
- ज. कानून के शासन और संवैधानिक शासन के प्रति प्रतिबद्ध सभी देशों में चल रही न्यायिक प्रवृत्ति प्रासंगिक तथ्यों पर आधारित तर्कसंगत निर्णयों के पक्ष में है। यह वस्तुतः न्यायिक निर्णय-निर्माण की जीवनरेखा है जो इस सिद्धांत को न्यायोचित ठहराती है कि कारण न्याय की आत्मा है।
- झ. न्यायिक या यहां तक कि अर्ध-न्यायिक राय इन दिनों उतनी ही भिन्न हो सकती हैं जितनी कि उन्हें देने वाले न्यायाधीश और प्राधिकारी। ये सभी निर्णय एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जो कारण से यह प्रदर्शित करना है कि प्रासंगिक कारकों पर वस्तुनिष्ठ रूप से विचार किया गया है। यह न्याय वितरण प्रणाली में वादकारियों के विश्वास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
- ञ. कारण पर जोर न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों के लिए एक आवश्यकता है।
- ट. यदि कोई न्यायाधीश या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया के

बारे में पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है तो यह जानना असंभव है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति नज़ीर के सिद्धांत या वृद्धिशीलता के सिद्धांतों के प्रति वफादार है या नहीं।

ठ. निर्णयों के समर्थन में कारण सुसंगत, स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। कारणों का दिखावा या "औपचारिक कारण" को एक वैध निर्णय लेने की प्रक्रिया के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।

ड. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि पारदर्शिता न्यायिक शक्तियों के दुरुपयोग पर प्रतिबंध का अपरिहार्य शर्त है। निर्णय लेने में पारदर्शिता न केवल न्यायाधीशों और निर्णय लेने वालों को त्रुटियों के प्रति कम प्रवृत्त करती है बल्कि उन्हें व्यापक जांच के अधीन भी बनाती है।

ढ. चूंकि कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता निर्णय लेने में निष्पक्षता के व्यापक सिद्धांत से उत्पन्न होती है, इसलिए उक्त आवश्यकता अब वस्तुतः मानवाधिकारों का एक घटक है और इसे स्ट्रासबर्ग न्यायशास्त्र का हिस्सा माना गया था।

ण. सभी सामान्य कानून क्षेत्राधिकारों में निर्णय भविष्य के लिए नज़ीर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, कानून के विकास के लिए, निर्णय के लिए कारण देने की आवश्यकता आवश्यक है और वस्तुतः "उचित प्रक्रिया" का एक हिस्सा है।

7. चुनौतीप्राप्त आदेश कारणों से रहित है। याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि उत्पन्न की गई मांग कानून के प्रावधानों के बिल्कुल अनुरूप है। याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों पर विचार नहीं किया गया।

8. परिणामस्वरूप, चुनौतीप्राप्त आदेश रद्द किया जाता है और मामले को प्रतिवादी संख्या 2 को वापस भेजा जाता है ताकि वह कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय ले सके।
9. याचिकाकर्ता का प्रतिनिधि दिनांक 15.04.2024 को सुबह 11:00 बजे प्रतिवादी संख्या 2 के कार्यालय में उपस्थित होगा और सक्षम प्राधिकारी याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करेगा।

(भुवन गोयल), जे

(अवनीश झिंगन), जे

सिंपल कुमावत /04

क्या रिपोर्ट करने योग्य है : हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

